

	<h1>कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर</h1> <p>(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)</p>		
क्रमांक:-	एफ-५०कार्मिक / सा.प्र./ जननि/ २०२२/	५१२	दिनांक:- २३.०६.२०२२

कार्यालय आदेश

समर्त संस्थापन लिपिक, कार्मिक शाखा (मुख्यालय)/जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि ओसवाल डाटा से जो भी विल बनाया जाता है तथा किसी भी दशा में एक बार बिल बनने व ट्रेजरी फार्वर्ड होने पर उसे सक्षम रत्तर से निरस्त किया जाता है तो इस प्रकार के प्रत्येक बिल की प्रविष्टि बिल रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें एवं उसे निरस्त कर पत्रावली में नथी करें तथा इसकी सुनिश्चितता कर लेवे कि निरस्त करने के उपरान्त भी उक्त बिल ऑटो प्रोसेस से जनरेट होकर ट्रेजरी फार्वर्ड तो नहीं हो गया है तथा उसका भुगतान तो नहीं हो गया है। गत वर्ष एवं इस वर्ष के जीए ५५ से मिलान कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में किसी भी कार्मिक को वेतन एसियर अथवा अन्य किसी भी देयता का दोहरा भुगतान तो नहीं कर दिया गया है। यदि दोहरा भुगतान पाया जाता है तो वसूली हेतु प्रकरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

—४—
(महेन्द्र सोनी)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

- निजी सहायक, महापौर महो० / उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- समर्त उपायुक्त जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- समर्त संस्थापन लिपिक, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर